

Subj- W.P./16770/2015 Dinkar Lal Ramtekar
V/S State.

पूर्व दृष्ट संज्ञा-

उपरोक्त प्रकरण में OLC की नियुक्ति हेतु
अपदेश जारी किया जाकर नस्ती पक्ष समर्थन
हेतु विधि विभाग को अंकित की जाती है। कृपया
पक्ष समर्थन का अपदेश जारी करने का कष्ट करें।

विधि विभाग

Room 16
पदवी संविद
न नंदी सी

Mon/18/108
09.03.16

348
क्रा मोहन
11.3.16

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

कक्ष- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत)

दूरभाष- 0755-2674342 (का.) 0755-2674270 (फैक्स) ई-मेल- ccfvigilance@rediffmail.com, apccfvig@mpforest.org

क्रमांक/स.शि./एम.सी.सी./2016/84/

भोपाल, दिनांक 05-03-16

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय:- याचिका क्रमांक/डब्ल्यू.पी./16770/2015 श्री ओकारलाल रामटेकर उप
वनक्षेत्रपाल विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य।

---00---

वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वन मण्डल बालाघाट का पृष्ठांकन क्रमांक/
स्था.आ./380 दिनांक 27.2.2016 सहपत्रों सहित मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही
हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

5/3/16

(जे0 के0 मोहन्ती)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत)
मध्यप्रदेश, भोपाल

रक्ष

प्रभारी श्री

प्र.मू.व.सं.उत्पा.

उपरोक्त प्रकरण में श्री ओंकार लाल रामटेकर उपवनक्षेत्र
पाल याचिका के विरुद्ध मात्र उक्त याचिका जवल्मुबदे याचिका
प्रस्तुत की है। जिसका संकेत सं.प्र.प्र.सं. (सतर्कता/शिकायत)
में है। उक्त प्रकरण प्रभारी अधिकारी की निम्नलिखित प्रमाण
में से है कि प्रमाण सं.प्र.प्र.सं. (सतर्कता/शिकायत) के वापस की जाती है।

अशोक कुमार, भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
Ashok kumar
Divisional Forest Officer



Tel :- 07632-248414
E-mail :- dfo_st@yahoo.com
dfotsbghat@mp.gov.in
dfotsbght@mp.gov.in

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट वनमण्डल बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.आ./
प्रति,

बालाघाट, दिनांक

मुख्य वन संरक्षक
बालाघाट वृत्त बालाघाट ।

विषय :- याचिका क्रमांक/ WP/16770/2015 श्री ओकारलाल रामटेक्कर उपवनक्षेत्रपाल विरुद्ध म0प्र0
शासन एवं अन्य।

संदर्भ :- डिप्टी रजिस्टार का पत्र क्रमांक 25.01.2016

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है इस वनमंडल में कार्यरत श्री ओकारलाल रामटेक्कर उपवनक्षेत्रपाल द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/नि.आ./17 दिनांक 31.10.2013 के विरुद्ध मान0म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक/ WP/16770/2015 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2016 तक जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। याचिका की प्रति दिनांक 24.03.2016 को इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। याचिका की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया उक्त याचिका में शासन पक्ष की ओर से प्रतिरक्षण करने हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करवाने का अनुरोध है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा-11) म.प्र. भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.आ./ 380
प्रतिलिपि,

(अशोक कुमार)
भा.व.से.2006
वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 22/2/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-2 म0प्र0भोपाल की ओर उक्त याचिका की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार)
भा.व.से.2006
वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतर्कता/प्रशासन
म.प्र., भोपाल

29-2-16

20/2/16



3041601
**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR**

Process Id: 12919/2016

WP/16770/2015

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

ADMISSION

Fixed for 08-03-2016

WP-DA-6

Respondent No. 3

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा-II) टो, नोपाल

Divisional Forest Officer Sourth
Territorialforestdivision Balaghat,
Balaghat,
District- Balaghat (MADHYA PRADESH)

Jabalpur 25-01-2016

निदेश
स्व. का


7/1/16
18/2/16

Sub: Notice to Respondent No. 3 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 16770/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Omkarlal Ramtekekar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/16770/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Your faithfully

[Signature]

DEPUTY REGISTRAR



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

WRIT PETITION No. 16770/2015

PETITIONER : Omkarlal Ramtekekar

VERSUS

RESPONDENTS : The State of M.P. & Ors.

INDEX

S. No	PARTICULARS	ANNX	PAGE
1.	Index		1
2.	Chronology of Events		2
3.	Writ Petition along with Affidavit		3-12
4.	List of Documents		13
5.	Copy of the show cause notice dated 04.07.2013	P/1	14-15
6.	Copy of the reply dated 03.08.2013	P/2	16-17
7.	Copy of the report dated 30.10.2013	P/3	18-20
8.	Copy of the order dated 31.10.2013	P/4	21-23
9.	Copy of the appeal dated 18.11.2013	P/5	24-25
10.	Copy of the order dated 17.06.2014 issued by the respondent No. 2	P/6	26-29
11.	Copy of the charge list dated 27.05.2011	P/7	30-32
12.	Vakalatnama		33

PLACE: JABALPUR

Humbly submitted by

DATED:

(SHAILESH TIWARI)
ADVOCATE FOR THE PETITIONER

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

WRIT PETITION No..../6.7.7Δ...../2015

PETITIONER : Omkarlal Ramtekekar

VERSUS

RESPONDENTS : The State of M.P. & Ors.

CHRONOLOGY OF EVENTS

S. No	DATE	EVENTS
1.	19.02.1975	The petitioner, was initially appointed as Forest Guard.
2.	1985-86	The petitioner has been successfully completed training of Forest Guard from Forest School Lakhnadon.
3.	2003	The petitioner promoted as Forester and posted in Bijagarh Forest Circle under East Lanji Range.
4.	27.05.2011	The petitioner has handed over charge of Forest Depot Bhamanwada to Mr. P.C. Soni,
5.	04.07.2013	A show cause notice issued by the respondent No. 3 to the petitioner.
6.	03.08.2013	The petitioner has submitted a detailed reply.
7.	30.10.2013	The inquiry report submitted by the SDO Forest Lanji.
8.	31.10.2013	The respondent No. 3 has issued impugned order.
9.	18.11.2013	An appeal preferred by the petitioner.
10.	17.06.2014	Appeal has been rejected by the respondent No. 2.

PLACE: JABALPUR

Humbly submitted by

DATED:

(SHALESH TIWARI)
 ADVOCATE FOR THE PETITIONER

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

WRIT PETITION No...../2015

PETITIONER

Omkarlal Ramtekekar, Son of Late Shri Sadduji Ramtekekar, Aged about 61 years, Deputy Forest Ranger (Retired), Resident of Village Purwatola, Post Lanji, District Balaghat, (M.P.)

VERSUS

RESPONDENTS

1. The State of Madhya Pradesh, through, the Principal Secretary, M.P. Forest Department, Vallabh Bhawan, Bhopal, (M.P.)
2. The Chief Conservator of Forest, Forest Circle Balaghat, District Balaghat, (M.P.)
3. The Divisional Forest Officer, South Territorial Forest Division Balaghat, District Balaghat, (M.P.)
4. The Forest Range Officer, West Territorial Forest Range Lanji, District Balaghat, (M.P.)
5. Mr. M.D. Dharvey,
The then Deputy Forest Ranger, through, the Divisional Forest Officer, South Territorial Forest Division Balaghat, District Balaghat, (M.P.)

**WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

**1. PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST
WHICH THIS PETITION IS BEING MADE:**

- (i) Date of order : (a) 31.10.2013
: (b) 17.06.2014 (18.06.2014)
- (ii) Order No. : (a) 17 (9018)
: (b) 169 (2369)
- (iii) Passed By : (a) The Divisional Forest Officer, South
Territorial Forest Division Balaghat, District
Balaghat, (M.P.) (the Resp. No. 3)
: (b) The Chief Conservator of Forest, Forest
Circle Balaghat, District Balaghat, (M.P.) (the
Resp. No.2)

(iv) Subject-matter in brief:

The petitioner most respectfully submits that he has rendered 38 years of services under the respondents and his entire service career is unblemished but at the fake end of service on 31.10.2013 (when the petitioner was due for superannuation), the respondent No. 3 has issued impugned order dated 31.10.2013 (Annex-P/4) by directing to recover Rs. 1,08,752/- from the retrial claims of the petitioner without taking into account the inquiry report submitted by the SDO Forest Lanji dated 30.10.2013 (Annex-P/3) wherein it is specifically reported that the petitioner has made efforts and not found guilty but without concluding any factual matrix which are in favour of the petitioner, the respondent No. 3 has issued impugned order on 31.10.2013 and thereafter, the appeal preferred

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 085

भोपाल, दिनांक : 09/3/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ~~वन मजदूरों के कामकाज~~ ~~दक्षिण बालाघाट~~ को माननीय उच्च न्यायालय ~~लखनपुर~~ के प्रकरण क्रमांक/W.P./16770/15 द्वारा श्री ~~औसारलाल रामटेकर~~ विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में शासन की ओर से म.प्र.राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभियन्तों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी स्थिति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अध्या सक्षम अधिकारी का जहाँ से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को फ्लाकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कर्ता हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(अनीत वर्मा)
सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक : 09/03/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 085

प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल
3. जिलाध्यक्ष बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र.।
4. अधिवक्ता (सा.द.) बालाघाट प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर और "उपस्थिति प्रमाण पत्र" प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति/रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
5. सा.द. बालाघाट की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंपकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट वृत्त बालाघाट म.प्र.।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शिकार) म.प्र. भोपाल की ओर उनकी अशासकीय टीप क्रमांक/ 84 दिनांक 05/03/16 द्वारा दिये गये प्रस्ताव के संबंध में सूचनार्थ।
8. उप वन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. रजिस्ट्रार म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0।
10. शासकीय अधिवक्ता म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0।
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।


वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग